अगर आप
पेंसिल बनकर
किसी की खुशी
ना लिख सको तो,
कोशिश करो रबर बन कर
दुख मिटा सको।
– अज्ञात

किसानों का विरोध अभी थमा नहीं

राज्य सरकार का कहना है कि इन विधेयकों के जरिए उसने प्रदेश के किसानों को पंजाब एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1961 के तहत पहले से मिली वह सुरक्षा बरकरार रखने का प्रयास किया है जो केंद्र के नए कानूनों से खत्म हो जाने वाली है।

आरती शाह।।

केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाए गए कृषि से संबंधित तीन नए कानूनों को लेकर किसानों का विरोध अभी थमा नहीं है। इस बीच पंजाब विधानसभा ने एक विशेष अधिवेशन में मंगलवार को न केवल इन तीनों कानूनों को नामंजूर घोषित किया बल्कि तीन नए विधेयक पारित कर पंजाब को इनके असर से मुक्त रखने की कोशिश भी की। राज्य सरकार का कहना है कि इन विधेयकों के जरिए उसने प्रदेश के किसानों को पंजाब एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1961 के तहत पहले से मिली वह सुरक्षा बरकरार रखने का प्रयास किया है जो केंद्र के नए कानूनों से खत्म हो जाने वाली है।

ये विधेयक किसानों को मंडियों से बाहर भी अपनी उपज बेचने की छूट देते हैं, लेकिन इनके मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर की गई कोई भी खरीद वैध नहीं होगी और ऐसा करने वालों को तीन साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और संग्रह करने की सीमा हटाए जाने के प्रावधान की जगह नया बिल साफ कहता है कि इसकी सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

विधानसभा में पेश किए गए एक अन्य बिल में किसानों की ढाई एकड़ तक की जमीन को कुर्की–जब्ती से बचाने का प्रावधान है। हालांकि ये विधेयक अभी कानून नहीं बने हैं। चूंकि ये संसद द्वारा बनाए गए कानून से टकराते हैं इसलिए इन्हें राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति के पास भी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मौजूदा हालात में इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की संभावना कम है, फिर भी पंजाब विधानसभा का यह कदम काफी अहमियत रखता है।

कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली अन्य राज्य सरकारें भी आने वाले दिनों में ऐसे ही कदम उठा सकती हैं। मतलब यह कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच का यह मुद्दा अब केंद्र और विपक्षी राज्य सरकारों के बीच के विवाद जैसी शक्ल लेता जा रहा है। इस बहस में दोनों ही पक्ष खुद को किसानों का हितैषी बता रहे हैं लेकिन किसान अपनी चिंताओं का साझा दोनों से ही करने को तैयार नहीं हैं। केंद्र सरकार जहां बड़ी पूंजी को खेती की ओर आकर्षित कर उसे लाभदायक बनाते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कह रही है, वहीं विपक्षी राज्य सरकारें किसानों की सुरक्षा का वास्ता देते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अटकाने की कोशिश में हैं।

एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के पीछे किसानों की भलाई की जो दलील देती रही है, उसको अबतक किसानों के लिए ग्राह्य नहीं बनाया जा सका है। इसका जितना भी हिस्सा किसानों तक पहुंच पाया है, वह किसानों के डर, उनकी चिंता और असुरक्षा को संबोधित करने में विफल रहा है। सरकार की नीयत अच्छी और इरादे नेक हों तो भी किसानों में यह भरोसा होना जरूरी है कि खुले बाजार का हिस्सा बनने पर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने नहीं जा रहीं।

प्रयास

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

बहुत समय से सोच रहा था कि जनमानस में शम्बूक, सीता त्याग इत्यादि को लेकर जो असत्य फैला है उसके विषय में कुछ लिखूं। १–२ शताब्दी पूर्व से सुनियोजित रूप से श्रीराम के चरित्रहनन का जो प्रयास हुआ है वो वास्तव में दुखद है। वैसे तो ऐसी कई मिथ्या चीजें जनमानस में फैलाई गयी है जिससे श्रीराम के उज्जवल चरित्र पर कलंक लगाया जा सके किन्तु उनमें भी जो सबसे बड़े पात्र के रूप में उभरता है वो है शम्बूक। पहले मैंने केवल शम्बूक के विषय में लिखने का निश्चय किया था किन्तु फिर सोचा कि इसी बहाने रामायण के उत्तर कांड के सत्य से भी सबको अवगत कराया जाये। तो आइये इस विषय में विस्तार से जानते हैं।

इससे पहले संक्षेप में उस कथा को जान लेते हैं जो शम्बूक के विषय में फैली है।

संपादकीय

मनुष्य का मन

ध्यान रहे कि ये दोनों देश 1921 में ही सोवियत संघ का हिस्सा हो गए थे। इस पूरे दौर में सोवियत संघ के खिलाफ और चाहे जो भी कहा जाए, जातीय और धार्मिक पहचानों के आधार पर किसी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। अजरबैजान के लोगों की स्थिति भी इससे अलग नहीं रही। इंटरनेट तक पहुंच पर रोक तो 27 सितंबर को ही लग गई थी। 28 सितंबर को राजधानी बाकू सहित सभी प्रमुख शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। साफ है कि दुश्मन सेना के हमलों में जान–माल के नुकसान से अलग और युद्ध के खर्चों के अलावा दोनों देशों के आम लोगों को अपने नागरिक अधिकारों पर हमला भी झेलना पड़ रहा है। मगर इन सबसे एकदम अलग एक और सवाल है जो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चल रही इस लड़ाई से जुड़ता है। जैसा कि अब तक स्पष्ट हो चुका है दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई में एक प्रमुख कारक है इन देशों की जनता की अलग–अलग धार्मिक और भाषाई पहचान। बल्कि, शासन की कोशिश अगर कुछ थी तो इन पहचानों को कमजोर करने की ही थी। बावजूद इसके, सात दशक के बाद जब ये देश अलग होने की स्थिति में आए तो यही पहचानें इनके टकराव का आधार बनीं। सवाल कहें या सबक, मनुष्यता के लिए यह है कि मनुष्य के मन में बदलाव की प्रक्रिया शायद उससे ज्यादा जटिल है, जितनी हम उसे समझते रहे हैं।

बहरहाल, इस समय दुनिया में दो ऐसे देशों के बीच युद्ध चल रहा है जो कम से कम हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों के लिए इतने जाने पहचाने नहीं हैं कि वे इस लड़ाई में एक पक्ष बनने को उत्सुक हो उठें।

दावे और प्रतिदावे

प्रणव प्रियदर्शी।।

आपस में लड़ते हुए दो देश वास्तव में कैसे दिखते हैं, यह समझ में तब आता है जब हमारी नजर ऐसे दो देशों की लड़ाई पर जाती है जिनसे हमारा कोई सीधा जुड़ाव न बनता हो। वरना होता यह है कि दोनों में से कोई एक हमें कम बुरा या ज्यादा बदमाश प्रतीत होता है। ऐसा होते ही हमारी सहानुभूति किसी एक के पक्ष में चली जाती है। इसके बाद पूरी बुराई हमें दूसरे पक्ष में नजर आने लगती है और लड़ाई के चरित्र का सवाल गायब हो जाता है। चरित्र का सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कोई युद्ध इंसानियत के लिए दवा है या जहर, इसका फैसला इसी से हो सकता है, और नजर में थोड़ी सी निष्पक्षता न हो तो इसका परीक्षण मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, इस समय दुनिया में दो ऐसे देशों के बीच युद्ध चल रहा है जो कम से कम हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों के लिए इतने जाने पहचाने नहीं हैं कि वे इस लड़ाई में एक पक्ष बनने को उत्सुक हो उठें। लिहाजा युद्ध से जुड़े सभी पहलुओं पर न सही, कुछ अहम पहलुओं पर एक निरपेक्ष दृष्टि हम इस लड़ाई के सहारे डाल सकते हैं।

ये दो देश हैं कॉकेशस क्षेत्र के दो पड़ोसी अजरबैजान और आर्मीनिया। दोनों देशों के बीच

युद्ध का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ताजा दौर की लड़ाई शुरू हुई 27 सितंबर को। जैसा कि आम तौर पर होता है, इस युद्ध में भी अगर आप किसी एक पक्ष पर आंख मूंदकर विश्वास करने को बाध्य नहीं हैं तो यह समझना मुश्किल है कि लड़ाई वास्तव में किसने शुरू की और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। दोनों पक्ष एक–दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और उनके दावों की सचाई परखने का कोई तरीका युद्धभूमि से दूर बैठे लोगों के पास नहीं है।

कायदे से हमें एक नजर इस पर भी डालना चाहिए कि आखिर यह लड़ाई शुरू क्यों हुई और 10 अक्टूबर को एक बार युद्ध विराम की घोषणा हो जाने के बावजूद थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। लेकिन ऐसा कोई न कोई किस्सा तो हर लड़ाई के साथ जुड़ा होता है। उसे लंबा खींचने वाले कई तरह के कारक भी होते हैं। सो, संक्षेप में इतना समझ कर आगे बढ़ चलते हैं कि इस लड़ाई की जड़ में नागोर्नो–काराबाख नाम का करीब साढ़े चार हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और डेढ़ लाख की आबादी वाला एक बेहद खूबसूरत इलाका है, जो है तो अजरबैजान का हिस्सा लेकिन राज वहां किसी और का चलता है। मसला यह है कि अजरबैजान एक शिया बहुल मुस्लिम देश है जबकि नागोर्नो–काराबाख की ज्यादातर आबादी ईसाई है जो पड़ोस के ईसाई बहुल देश आर्मीनिया से ज्यादा करीबी महसूस करती है।

इसके दूसरे स्तर पर इसी इलाके के दो ताकतवर देश खड़े नजर आते हैं– रूस और तुर्की। तुर्की का सीधा तर्क यह है कि अजरबैजान के मुस्लिम भाइयों को वह अकेला नहीं छोड़ सकता। हालांकि तुर्की सुन्नी बहुल देश है जबकि अजरबैजान में शिया आबादी है, लेकिन इस विपरीतता को बेअसर करती हुई तुर्की को अजरबैजान से जोड़े रखने वाली चीज भाषा है। अजरबैजान के लोग भले शिया हों, लेकिन बोलते वे टर्किश ही हैं। रूस की स्थिति थोड़ी विचित्र इस मामले में है कि आर्मीनिया से जरा ज्यादा सहानुभूति रखते हुए भी वह इसे खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहा क्योंकि ये दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं और आज भी दोनों रूस के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं।

सूडोकु नवताल-5339

मध्यम

		9		5		2		4
4	5				9	7	1	8
				7			5	3
	8	2	7		5			6
1	3			4			7	2
5			1		2	8	3	
8	4			9				
3	6	1	2				9	5
2		5		1		6		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5338 का हल

7	8	6	4	1	3	5	9	2
5	9	4	7	8	2	1	6	3
1	2	3	6	9	5	7	4	8
9	3	8	2	6	1	4	7	5
2	7	5	8	4	9	6	3	1
6	4	1	5	3	7	2	8	9
3	5	9	1	7	4	8	2	6
8	1	7	9	2	6	3	5	4
4	6	2	3	5	8	9	1	7

अपना ब्लॉग

देश से बाहर जाने पर पाबंदी

मोहन। दोनों पक्षों को अलग–अलग करने वाले इन ब्योरों से ज्यादा दिलचस्प हैं वे बातें जो इस लड़ाई के दौरान भी दोनों देशों के नेतृत्व को एक ही पाले में रखती हैं। 27 सितंबर को युद्ध शुरू हुआ और 28 सितंबर को आर्मीनिया सरकार ने 18 साल से ऊपर के उन सभी लोगों के देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जो मोबिलाइजेशन रिजर्व लिस्ट में शामिल थे। अगले ही दिन आर्मीनिया में टिकटॉक बंद हो गया। बैन की घोषणा भले न हुई हो, आम लोगों की उस तक पहुंच रोक दी गई। इसके बाद देशद्रोह के संदेह में गिरफ्तारियां होने लगीं, मार्शल लॉ को और अधिक कड़ा कर दिया गया और राज्य के विभिन्न अंगों की आलोचना पर पाबंदी लगा दी गई। उनमें उलझने पर दूसरी कुछ जरूरी बातें छूट सकती हैं। यह इस दिलचस्प प्रेम त्रिकोण का पहला स्तर है।